

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान-मवन भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/पेंशन/ 657
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/12/2019

संयुक्त/उप संचालक,
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय, शमरत (म.प्र.)

विषय:- सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के जीवित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि आपके संभागान्तर्गत सेवानिवृत्त आंचलिक कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी एवं कृषि उपज मण्डी समितियों के सचिव/मण्डी निरीक्षक/लेखापाल/सहा.उप निरीक्षक के जीवित प्रमाण-पत्र आगामी माह की पेंशन जारी करने के पूर्व उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होने पर माह दिसम्बर 2019 की पेंशन पर रोक लगाई जावेगी। पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे।

अपर संचालक(वित्त.)

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

भोपाल, दिनांक 19/12/2019

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/पेंशन/ 658-59

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1/

निज सचिव, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

2/

सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति शमरत जिलाकी ओर पत्र भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपकी मण्डी समिति से सेवानिवृत्त (पेंशनर)अधिकारी/कर्मचारियों के जीवित प्रमाण-पत्र तत्काल उपलब्ध करावे।

अपर संचालक(वित्त.)

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल